

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 जनवरी 2018—पौष 21, शक 1939

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. एफ-1-5-2010-उन्तीस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन में, कॉलम (2) में “कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी” पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (5)	अन्य बातें (6)
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.	18 वर्ष	25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (जिसमें भौतिकी एक विषय हो) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक (बी.ई.) तथा हिन्दी बोलने, पढ़ने और लिखने में समर्थ हो.	

No. F 1-5-2010-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Articles 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Food and Civil Supplies Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1989, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-III, in column (2), for the post “Junior Supply Officer” and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

Name of Department (1)	Name of Post (2)	Minimum Age (3)	Maximum Age (4)	Educational Qualification (5)	Remark (6)
Food, Civil Supplies & Consumer Protection Department.	Junior Supply Officer.	18 years	25 years	Bachelor degree from any recognized University (in which Physics is one of the subject) OR Bachelor of Engineering (B.E.) from any recognized University and is able to speak, read and write Hindi.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र सिंह रावत, उपसचिव.